कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) नगरीय इन्दौर म0प्र0

क्रमांक-डीसीपी/इं/मुख्या/रनि/ 5119 /2022 दिनांक- 28 /09/22

-:: सीमित निविदा विज्ञप्ति ::-

दीपावली के अवसर पर आमजन के लिये विक्रय हेतु व पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को रियायती दर पर पटाखा उपलब्ध कराने की दृष्टि से डीआरपी लाईन परेड ग्राउण्ड इंदौर में अस्थाई पटाखा दुकान संचालन हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। इस संबंध में पुलिस कल्याण हेतु अधिकतम किराया/सहयोग राशि होने पर निविदा का अंतिम चयन किया जाना प्रस्तावित है। सीमित निविदा अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उपस्थित फर्म के प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। सीमित निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने वाले सभी प्रतिनिधियों को उपस्थित रहना अनिवार्य है। सीमित निविदा प्रपत्र दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में निर्धारित समय सीमा में जमा किया जाए। निर्धारित समय उपरांत निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

क.	कार्य का नाम	कार्य का स्थान	कार्यालय
1	पटाखा दुकान संचालन	पुलिस परेड ग्राउण्ड	पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय

1. सीमित निविदा जमा करने की **अंतिम तिथि 06./.10/2022 समय 16:00** बजे तक है। (कार्यलयीन समय में शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर)
2. सीमित निविदा **खोलने की अंतिम तिथि 07./10/2022 को सायं 12.00 बजे**
3. निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि को निविदाकर्ता के समक्ष खोली जाएगी। अतः निविदाकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है।
4. निविदा सीलबंद लिफाफे में कार्यालय रक्षित निरीक्षक, रक्षित केन्द्र इंदौर में निविदा जारी होने के दिनांक से अंतिम तिथि तक कार्यालयीन समय 10.00 से 17.00 बजे तक प्रस्तुत करें एवं लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में सीमित निविदा अवश्य लिखें।
5. निविदाकर्ता का ईपीएफ रजिस्ट्रेशन, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
6. विभाग द्वारा किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जाएगा।
7. किसी भी समय शर्तो में संशोधन करने अथवा निविदा निरस्त करने अथवा कार्यादेश निरस्त करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जिला इंदौर के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी प्रकार का संशय/विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जिला इंदौर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
8. लाइसेन्स की सभी शर्तो का पालन वेंडर को करना होगा।
9. सुरक्षा के लिये भौतिक, अग्नि एवं विद्युत संबंधी आवश्यक प्रबंध किये जावेगें एवं संपूर्ण जवाबदारी भी स्वयं वेंडर की रहेगी।
10. सफल निविदा धारक को सम्पूर्ण राशि दुकान संचालित करने से पूर्व पुलिस वेलफेयर मद में जमा करानी होगी।

पुलिस उपायुक्त
(मुख्यालय) नगरीय इन्दौर